CGJC110014572022

दां.प्र.क्र.–1376/22
शासन वि. प्रकाश यादव+ 4 अन्य

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निर्णय का शीर्षक	02
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	02
3.	आरोप	04
4.	स्वीकृत तथ्य	04–05
5.	अभियोजन कहानी	05–07
6.	अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा	07
7.	अवधारणीय प्रश्न	08
8.	कारण और निष्कर्ष	08–12
9.	सजा	–
10.	निरोध अवधी एवं सेट आफ	–
11.	संपत्ति का व्ययन	13
12.	मुआवाजा/प्रतिकर का आदेश	–
13.	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	14
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट अर्थदंड या कारावास	–
15.	निर्णय की एक प्रति	–

CGJC110014572022

दां.प्र.क्र.–1376/22
शासन वि. प्रकाश यादव+ 4 अन्य

फार्म-डी

न्यायालय – श्रीमती शीलू केसरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	
निर्णय दिनांक – 16.07.2026 दां.प्र.क्रमांक – 1376/2022 सी.एन.आर नं. – CGJC11001457-2022 अपराध क्रमांक – 259/2022 आरक्षी केन्द्र – मुलमुला	
शिकायतकर्ता	छत्तीसगढ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मुलमुला
राज्य की ओर से	श्री निशांत पाण्डेय, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. प्रकाश यादव, पिता–गंगाराम यादव, उम्र–34 वर्ष, 2. शैली बाई यादव, पति–गंगाराम यादव, उम्र–71 वर्ष, 3. केशव यादव, पिता–गंगा राम यादव, उम्र–46 वर्ष, 4. ईश्वरी यादव, पति–केशव यादव, उम्र–36 वर्ष, 5. कृष्ण कुमार यादव, पति–गंगाराम यादव, उम्र–31 वर्ष, सभी साकिनान–जोरापारा, सरकण्डा, चौबे कालोनी वार्ड क्र. 62, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
अभियुक्तगण की ओर से	श्री सरोज देवांगन अधिवक्ता।

CGJC110014572022

दां.प्र.क्र.–1376/22
शासन वि. प्रकाश यादव+ 4 अन्य

फार्म-ई

घटना दिनांक	11.12.2020 से 12.06.2022 तक
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	29.09.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	20.12.2022
आरोप विरचित करने का दिनांक	27.02.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	24.05.2025
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	–
निर्णय की तिथि	16.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो तो	–

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्धी	दी गई सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान बिताई गयी निरोध की अवधि
1.	प्रकाश यादव	22.11.2022	25.11.2022	498–ए, भा.द.सं. सहपठित धारा 34	दोषमुक्त	–	दिनाँक 22.11.2022 से दिनाँक 25.11.2022 तक
2.	शैली बाई यादव	22.11.2022	22.11.2022		दोषमुक्त	–	निरंक
3.	केशव यादव	22.11.2022	22.11.2022		दोषमुक्त	–	निरंक
4.	ईश्वरी यादव	22.11.2022	22.11.2022		दोषमुक्त	–	निरंक
5.	कृष्ण कुमार यादव	22.11.2022	22.11.2022		दोषमुक्त	–	निरंक

CGJC110014572022

दां.प्र.क्र.–1376/22
शासन वि. प्रकाश यादव+ 4 अन्य

// निर्णय//
(आज दिनांक 16.07.2026 को घोषित)

01. **अभियुक्तगण प्रकाश यादव, शैली बाई यादव, केशव यादव, ईश्वरी यादव एवं कृष्ण कुमार यादव** के विरुद्ध **भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498–ए सहपठित धारा 34** के तहत अभियोग है कि उन्होंने दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 12.06.2022 के मध्य प्रार्थिया के घर जोरापारा वार्ड नं. 63, चौबे कालोनी सरकण्डा बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत में प्रार्थिया राजनंदिनी यादव के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए एक दूसरे के सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया से दहेज में 2 लाख रूपए, 10 तोला सोना एवं वेगनआर कार की माँग कर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित किया।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रार्थिया राजनंदिनी यादव का विवाह अभियुक्त प्रकाश यादव के साथ दिनांक 11.12.2020 में सम्पन्न हुआ था। अभियुक्त प्रकाश यादव प्रार्थिया का पति, अभियुक्त शैली बाई यादव उसकी सास, अभियुक्त केशव यादव उसका जेठ,

अभियुक्त ईश्वरी यादव उसकी जेठानी एवं अभियुक्त कृष्णा यादव प्रार्थिया का देवर हैं।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 11.12.2020 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार प्रकाश यादव के साथ हुई है उसके पति का संयुक्त परिवार है, सभी एक साथ रहते है। शादी के बाद से ही आवेदिका का पति प्रकाश यादव, सास शैली बाई यादव, जेठ केशव यादव, जेठानी ईश्वरी यादव एवं देवर कृष्णा यादव सभी मिलकर दहेज के नाम से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हैं, जबकि आवेदिका के पिता अपनी हैसियत के अनुसार 2 तोला सोना, नई मोटर सायकल HF डिलक्स, फ्रीज, कूलर, टी.वी., रसोई का सामान, बर्तन, पलंग, गद्दा, सोफा सेट, आलमारी, 1 लाख रूपए टीकावन उसकी सास के माँगने पर, एक जोड़ी बिछिया एवं एक जोड़ा पायल (50 तोला) को स्त्री धन में दिए थे, इसके बावजूद उसका पति एवं उसके ससुराल वाले 2 लाख रूपए नगद, 10 तोला सोना एवं वेगनआर कार की लगातार माँग करते रहे और नहीं देने पर

आवेदिका को नापसंद कर उससे मारपीट कर, जलाकर मार देने की धमकी देने लगे। दिनाँक 22.05.2022 को प्रताड़ना के संबंध में बैठक हुआ, जिसमें उसके पिता एवं बड़े पापा एवं अन्य परिवार वाले उपस्थित हुए थे। सामाजिक समझाईश के बाद उसके पिता उसे दोबारा ससुराल पहुंचाए। दिनाँक 12.06.2022 को रात्रि लगभग 09 से 10 बजे के बीच उसके ससुराल वाले रूपए व कार की माँग करते हुए मायके से अपना बंटवारा लेकर आओ कहकर उसका पति, जेठ, जेठानी, सास एवं देवर मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसका हाथ पैर को पकड़कर सभी हाथ मुक्का से मारपीट किए है, वह अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह उनसे छुटकर, दौड़कर पास वाले कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। आवेदिका ने संपूर्ण घटना की जानकारी अपने पिता जी को रात्रि 12.30 बजे दी थी, तब दूसरे दिन दिनाँक 13.06.2022 को उसका भाई हर्षवर्धन, संतोष (फुफा) को लेकर बिलासपुर आया था, तब वह अपने कमरे से बाहर आयी, और उनके साथ महिला थाना बिलासपुर में सूचना दी थी और अपने मायके में आ गई थी।

उसके बाद थाना मुलमुला में तथा पुलिस अधीक्षक जांजगीर को प्रताड़ना की शिकायत की गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया से शादी का कार्ड जप्त किया गया। घटना स्थल का नजरी–नक्शा तैयार किया गया। गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से उन्हें विधिवत् गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. **अभियुक्तगण प्रकाश यादव, शैली बाई यादव, केशव यादव, ईश्वरी यादव एवं कृष्ण कुमार यादव** के विरुद्ध **भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498–ए सहपठित धारा 34** के तहत आरोप विरचित कर, पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने से इंकार किया गया। **दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा–313** के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना कहते हुए बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05. **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :–**

(i) क्या अभियुक्तगण प्रकाश यादव, शैली बाई यादव, केशव यादव, ईश्वरी यादव एवं कृष्ण कुमार यादव ने दिनाँक 11.12.2020 से दिनाँक 12.06.2022 के मध्य स्थान प्रार्थिया के घर जोरापारा, वार्ड नं. 63 चौबे कालोनी सरकण्डा बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रार्थिया राजनंदिनी यादव के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए एक दूसरे के सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया से दहेज में 2 लाख रूपए, 10 तोला सोना एवं वेगनआर कार की माँग कर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित किया ?

//साक्ष्य विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

–:: विचारणीय प्रश्न क्र. (i) का विश्लेषण एवं निष्कर्ष ::–

06. प्रकरण में अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में प्रार्थिया (अ.सा.1) राजनंदनी यादव एवं (अ.सा.2) जोधन यादव का कथन कराया है तथा दस्तावेजों के रूप में लिखित शिकायत (प्र.पी.1), प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.2), घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.3), आरोपीगण के विरूद्ध लिखित शिकायत (प्र.पी.4), साक्षी राजनंदनी यादव का पुलिस कथन

(प्र.पी.5), साक्षी राजनंदनी यादव का बयान (प्र.पी.6) एवं साक्षी जोधन यादव का पुलिस कथन (प्र.पी.7) को प्रदर्श अंकित कराया है।

07. प्रकरण में प्रार्थिया (अ.सा.1) राजनंदनी यादव ने आरोपीगण को पहचानते हुए न्यायालयीन कथन किया है कि आरोपी प्रकाश यादव उसका पति, शैली यादव उसकी सास, ईश्वरी यादव उसकी जेठानी, केशव यादव उसका जेठ एवं कृष्ण कुमार यादव उसका देवर है। उसका विवाह दिनांक 11.12.2020 को प्रकाश यादव के साथ सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ था, विवाह के पश्चात से वह अभियुक्तगण के साथ अपने ससुराल जोरापारा सरकण्डा में रहती थी। आरोपीगण घरेलू कामकाज की बातों को लेकर उससे वाद–विवाद कर, झूमा–झपटी किए थे, जिससे परेशान होकर वह थाना मुलमुला में लिखित शिकायत (प्र.पी.1) दिए जाने पर उसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.2) दर्ज किया गया। उसने पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध लिखित शिकायत (प्र.पी.4) प्रस्तुत किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने यद्यपि लिखित

शिकायत (प्र.पी.1), प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.2), घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.3) एवं आरोपीगण के विरूद्ध लिखित शिकायत (प्र.पी.4) में उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी प्रार्थिया ने अभियुक्तगण द्वारा उससे दहेज में 2 लाख रूपए नगद, 10 तोला सोना एवं वेगन आर कार की मांग कर, उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित कर क्रूरता कारित किये जाने से इंकार किया है, जिससे उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

08. प्रकरण में प्रार्थिया के पिता (अ.सा.2) जोधन यादव ने न्यायालयीन कथन में प्रार्थिया के कथन को दोहराया है, किन्तु उक्त साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं किया हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन के विरुद्ध कथन किया है। प्रार्थिया के पिता जोधन यादव ने यद्यपि

अभियुक्तगण द्वारा घरेलू वाद–विवाद पर उनकी पुत्री के साथ लडाई–झगड़ा करना बताया है, किन्तु दहेज की मांग करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग के कारण प्रार्थिया के साथ लड़ाई–झगड़ा किए जाने संबंधी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09. इस प्रकार स्वयं प्रकरण की प्रार्थिया एवं उसके पिता द्वारा अभियोजन के विरुद्ध कथन किये जाने से घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिया के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए, प्रार्थिया से दहेज में 2 लाख रूपए नगद, 10 तोला सोना एवं वेगनआर कार की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित कर क्रूरता कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विश्लेषण उपरांत यह परिलक्षित है कि अभियोजन **"युक्तियुक्त सभी सन्देहों से परे"** यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण प्रकाश यादव, शैली बाई यादव, केशव यादव, ईश्वरी यादव

एवं कृष्ण कुमार यादव ने दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 12.06.2022 के मध्य स्थान प्रार्थिया के घर जोरापारा, वार्ड नं. 63 चौबे कालोनी सरकण्डा बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रार्थिया राजनंदिनी यादव के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए एक दूसरे के सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया से दहेज में 2 लाख रूपए, 10 तोला सोना एवं वेगनआर कार की माँग कर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित किया। अतः सन्देह का लाभ प्रदान कर अभियुक्तगण प्रकाश यादव, शैली बाई यादव, केशव यादव, ईश्वरी यादव एवं कृष्ण कुमार यादव को **भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498–ए सहपठित धारा 34** के अपराध से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

11. अभियुक्तगण का नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत/मुचलका भारमुक्त किया जाता है। धारा–437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत/मुचलका इस निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जप्तशुदा शादी का कार्ड मूल अभिलेख का भाग रहेगा।

13. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के तहत विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के संबंध में पृथक से निरोध अवधि तालिका निर्मित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

सही/-
(श्रीमती शीलू केसरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पामगढ
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सही/-
(श्रीमती शीलू केसरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

CGJC110014572022

दां.प्र.क्र.–1376/22
शासन वि. प्रकाश यादव+ 4 अन्य

न्यायालय - श्रीमती शीलू केसरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

दांडिक प्रकरण क्र. 1376/2022
संस्थित दिनांक 20.12.2022
अपराध क्र. 259/2022

छत्तीसगढ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र मुलमुला,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) **......... .... अभियोजन**

//विरूद्ध//

प्रकाश यादव+ 4 अन्य **................अभियुक्तगण**

// निरोध अवधि प्रमाण पत्र //
(अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0)

क0	**अभियुक्त का नाम**	**धारा व अधि0**	**पुलिस अभिरक्षा**	**न्यायिक अभिरक्षा**
01.	प्रकाश यादव	498–ए सहपठित धारा 34 भा.दं.वि.	—	दिनाँक 22.11.2022 से दिनाँक 25.11.2022 तक
02.	शैली बाई यादव		—	**निरंक**
03.	केशव यादव		—	**निरंक**
04.	ईश्वरी यादव		—	**निरंक**
05.	कृष्ण कुमार यादव		—	**निरंक**

स्थान :– पामगढ़
दिनांक :– 16.07.2026

सही/–
(श्रीमती शीलू केसरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)